विविध बैंक प्रकरण सं0 78/2019(RCMS 2019/00129) भारतीय स्टेट बैंक जरिये श्री निर्मल सिंह संधू प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, भातरीय स्टेट बैंक, रिटेल एस्सेट्स क्रेडिट- केन्द्र, नगरपालिका रोड, सादुलशहर बनाम 1. मैसर्स माँ भवानी जनरल स्टोर–प्रो. मेघराज सिंधी पुत्र श्री गंगाराम निवासी वार्ड नं 01, इन्दिरा कॉलोनी, नगरपालिका मार्केट, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

17.07.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिह संधू का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स माँ भवानी जनरल स्टोर–प्रो. श्री मेधराज सिंधी को ऋण सुविधा के रूप में 11,00,000/–(अखरे रूपये ग्यारह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 17.10.2016 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी माँ भवानी जनरल स्टोर–प्रो. श्री मेधराज सिंधी का रिहायशी प्लॉट नं. 02, वार्ड नं. 06, नजदीक पी.डल्यू.डी. गेस्ट हाउस, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20'गुणा 60') में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी।

उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.10.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 20.12.2018 को 11,72,516/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है। जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 20.12.2018 को उक्त बकाया राशि

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मैसर्स माँ भवानी जनरल स्टोर–प्रो. श्री मेधराज सिंधी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा गया रिहायशी प्लॉट नं. 02, वार्ड नं. 06, नजदीक पीडब्ल्यूडी, गेस्ट हाउस, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20′ गुणा 60′) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी माँ भवानी जनरल स्टोर–प्रो. मेघराज सिंधी को कुल 11,00,000/–(अखरे रूपये ग्यारह लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 17.10.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मेघराज सिंधी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में रिहायशी प्लॉट नं. 02, वार्ड नं. 06, नजदीक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, तहसील सादुलशहर (क्षेत्रफल 20′गुणा60′) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 20.10.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.12.2018 जारी किया गया है जिस पर अप्रार्थी मेघराज सिंधी के स्वयं के हस्ताक्षर है इसके साथ अप्रार्थी ऋणी मैसर्स माँ भवानी जनरल स्टोर–प्रो. श्री मेधराज सिंधी को उक्त धारा 13(2) का नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं प्राप्ति हेतु पोस्ट ऑफिस का ट्रैक कंसाईन्मैंट की प्रति पेश

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की है जिसके अनुसार ऋणी अप्रार्थीगण को नोटिस धारा 13(2) का तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 02, वार्ड नं. 06, नजदीक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20'गुणा60') जो ऋणी श्री मेघराज सिंधी के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का सम्बन्ध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.12.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 20.12.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी श्री मेधराज सिंधी के नाम जारी होकर स्वयं को प्राप्त हो चुका है एवं मैसर्स माँ भवानी जनरल स्टोर–प्रो.

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

श्री मेधराज सिंधी को पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कंसाईनमैंट एवं प्राप्ति रसीद की प्रति के अनुसार नोटिस प्राप्त हो चुका है, परिणामस्वरूप धारा 13(2) के नोटिस की प्रति एवं पोस्ट ऑफिस का ऑन लाईन ट्रैक कंसाईन्मैंट की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मेघराज सिंधी द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, सादुलशहर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 02, वार्ड नं. 06, नजदीक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, तहसील सादुलशहर** जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20'गुणा 60') जो कि ऋणी श्री मेघराज के नाम से है और जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर